न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 140/2024 तीजो देवी वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

9-5-2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम नारनाडी तहसील झंवर के खसरा नम्बर 43 रकबा 52 बीघा की पैतृक, पुश्तैनी कब्जाकाश्त एवं सहखातेदारी कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त खसरा संख्या 43 में दिनांक 28.03.2006 को वादीगण संख्या 10 से 14 व 18 से 26 के पूर्वजो द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि में से रकबा 4 बीघा भूमि का अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बेचान किया गया। उपरोक्त बेचान के अतिरिक्त वादीगण संख्या 15 से 17 द्वारा सभी वादीगण की सहमति से अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि से रकबा 5 बीघा व वादीगण संख्या 10 से 14 व 18 से 26 द्वारा रकबा 2 बीघा कृषि भूमि को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में समर्पण की जाकर पट्टे उठाने की कार्यावाही पूर्ण कर दी है तथा उपरोक्त कृषि भूमि 7 बीघा की तरमीम होकर 43/1 खसरे के रूप में दर्ज हो गयी है तथा इस प्रकार समस्त वादीगण द्वारा कुल भूमि रकबा 52 में से रकबा 11 बीघा का बेचान कर दिया गया है। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 43 का उनके पूर्वजो के समय से कभी विभाजन व तरमीम नही हुआ अथवा उपरोक्त पद संख्या 4 में वर्णित पडौसियों से भी सीमाओं व अपने अपने खसरो के क्षेत्रफल में कभी कोई विवाद नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा ऑनलाईन प्रकिया में कोई त्रुटि ना का पता करने के लिए अपने खसरा संख्या 43 के बाबत् राजस्व रेकर्ड की प्रतिलिपि प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि उनके खसरा संख्या 43 की कृषि भूमि जमाबंदी 35 बीघा 12 बीस्वा ही दर्ज है लगभग मौके एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया खसरा संख्या 43 के नक्शे में 16 बीघा क्षेत्रफल कम अंकित किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम नारनाडी तहसील झंवर के खसरा संख्या 43 की सीमाओं दुरूस्त किया जाकर कुल रकबा में शुद्धिकरण करते हुए 16 बीघा का अतिरिक्त इन्द्राज तथा घोषणा करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार झंवर को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2024/566 दिनांक 23.09.2024 के द्वारा जवाब/जांच हेतु लिखा गया।

तहसीलदार झंवर के पत्रांक/भू.अ./2024/442 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। ग्राम नारनाडी के खसर संख्या 43 रकबा 35.12 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ भूमि वक्त सेटलमेन्ट से जमाबन्दी में छगनिया, जुगलिया पिता माधा लखिया बिड़दीया पि० नवला कौम भील सा० डोली खातेदारी के नाम दर्ज थी। वर्तमान में उपरोक्त खातेदारों के फौत होने से उनके वारिसान के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 43 के खातेदारो मे से वादीगण संख्या 15 से 17 द्वारा अपने हिस्से में से 05 बीघा एवं वादीगण संख्या 10 से 14 व 18 से 26 द्वारा अपने हिस्से मे से 02 बीघा कुल 07 बीघा भूमि जो जोधपुर विकास प्राधिकरण में समपर्ण की जाकर पटटा उठाने की कार्यवाही की जिसके वर्तमान जमाबन्दी में खसरा संख्या 43/1 रकबा 1.0684 हैक्टेयर अर्थात 06.12 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ भूमि वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं खसरा संख्या 43/2 रकबा 0.0647 हैक्टेयर अर्थात 0.08 बीघा गैर मुमकिन रास्ता राज. सरकार के नाम खा.सं. 1 में दर्ज है। वादीगण खातेदारो द्वारा अपने मूल खसरा 43 का रकबा नपवाने के लिए श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर से सेटलमेट का मोमी ट्रेस नक्शा जिसमें क्रमांक 14769 दिनांक 18.07.2024 को जारी किया हुए है। जिसमें डिजिटल सर्वे नाप एंव सुपर इम्पोज

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

करवाया। जमाबन्दी में मूल खसरा संख्या 43 का रकबा 35.12 बीघा ही है जो सेटलमेन्ट से दर्ज है। जबकि जिला कार्यालय से जारी सेटलमेंट के मोमी ट्रेस नक्शे में उक्त ख.न. 43 का रकबा 52 बीघा बनता है। डिजिटल सर्वे माप से भी मोमी ट्रेस नक्शा का रकबा निकालने पर 52 बीघा बनता है तथा मौके पर लिये गये माप एवं सुपर इम्पोज से भी मौके एवं कब्जे का रकबा 52 बीघा बनता है। जबकि जमाबन्दी में इस खसरे का कुल रकबा 35.12 बीघा है जो कि सेटलमेन्ट के मोमीट्रेस नक्शा एवं मौका कब्जा से लगभग 16.08 बीघा कम है। वादीगण खातेदारो का खसरा संख्या 43 में 52 बीघा पर सेटलेन्ट से लगातार कब्जा काश्त रहा है और वर्तमान में भी 52 बीघा पर ही कब्जा काश्त है। अतः ग्राम नारनाड़ी के मूल खसरा 43 जिसका जमाबन्दी अनुसार रकबा 35. 12 बीघा बनता है जबकि मौका निरीक्षण द्वारा माप करन, सेटलमेन्ट के मोमी ट्रेस के नक्शे रकबा बरारी करने, डिजिटल सर्वे से नक्शे का माप, मौके कब्जे का माप व सुपर इम्पोज से खसरा संख्या 43 का रकबा लगभग 52 बीघा बनता है। जो कि जमाबन्दी के रकबे से 16.08 बीघा अधिक है जिस पर वादीगण खातेदारों का सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त है। मौके पर खेत के चारो तरफ माठे की हुई है। पड़ौसी खातेदारों के जमीन मौके पर व रिकोर्ड अनुसार पुरी है। किसी पड़ौसी खातेदारों द्वारा उजर एतराज जाहिर नही किया गया। ग्राम नारनाड़ी के खसरा संख्या 43 जिसका जमाबन्दी रकबा 35.12 बीघा है का सेटलमेन्ट के मोमी ट्रेस नक्शा एवं मौके से कब्जा काश्त अनुसार 52 बीघा बनता है।

पत्रालवी का अवलोकन किया गया। पत्रावली में मौजूद राजस्व रेकर्ड व तहसीलदार झंवर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की जितनी भूमि मौके पर है उतनी खतौनी में अंकित नहीं है इसी अनुसार रेकर्ड शुद्धिकरण का निवेदन किया गया। खसरा संख्या 43 की कृषि भूमि वर्तमान जमाबंदी में 35 बीघा 12 बीस्वा ही दर्ज है जो कि मौके एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया खसरा संख्या 43 के नक्शे में 16 बीघा क्षेत्रफल कम अंकित किया गया है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक, पुश्तैनी एवं सहखातेदारी भूमि जिस पर प्रार्थीगण खातेदारों का सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त है। भू–राजस्व अधिनियम व राजस्व नियमों के अनुसार जितनी भूमि नक्शे में अंकित है उतनी ही भूमि उतनी ही भूमि जमाबंदी में अंकित की जानी आवश्यक है। तहसीलदार झंवर द्वारा ग्राम नारनाड़ी के मूल खसरा संख्या 43 का जमाबन्दी के रकबे को 16. 08 बीघा बढाकरे उक्त खसरे का रकबा सेटलमेन्ट के नक्शे एवं मौके कब्जे अनुसार 52 बीघा पुरा करने हेतु स्पष्ठ अनुशंषा की गई है। फलस्वरूप उक्त भूमि का रेकर्ड शुद्धिकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रेकर्ड शुद्धिकरण की मद्देनजर रेकर्ड दुरूस्ती की परिभाषा में आने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम नारनाडी तहसील झंवर के खसरा नम्बर 43 रकबा 35.12 बीघा के स्थान पर उक्त खसरे का रकबा सेटलमेन्ट के नक्शे एवं मौके कब्जे अनुसार को 16.08 बीघा बढ़ाते हुए राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती कर खसरा नम्बर 43 रकबा 52 बीघा कर करते हुए आवश्यक दुरूस्ती का इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी